न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 33 / 2021

सरकार बनाम् घड़सी,भागीरथ,सुबेसिंह पुत्र सांवलराम जाति–जाट

निवासी– इस्माईलपुर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 29.06.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल सुबेसिंह उपस्थित। एव गैर सायल भागीरथ की ओर से उसका पुत्र अजय कुमार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैरसायलान घड़सी,भागीरथ,सुबेसिंह, पुत्र सावंलराम जाति–जाट, निवासी–इस्माईलपुर द्वारा रोही मौजा इस्माईलपुर की भूमि ख.नं. 130 के कुल रकबा 17.55 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.08 है0 भूमि पर बाड़, पक्के मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि प्रार्थी उक्त भूमि में कई वर्षो से आबाद है तथा सरकारी अनधिकृत कृषि भूमि,पर रहने के लिये मकानो के अनधिकृत निर्माण हेतु आवेदन पत्र 13.08.1976 की प्रति भी प्रस्तुत की। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है।एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है एवं अतिचारी के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 24 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 08
वर्ष 2021-22 में रूपये 24/- कायम
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार सूरजगढ़